मुकदमा एक्ट मु.सं. 08/2023

19-5-2023

पत्रावली पेश हुई। सहायक अभियोजन अधिकारी उपस्थित। गैरसायल ताराचन्द पुत्र रमेशचन्द्र, जाति– जीनगर, निवासी– इन्द्रा कॉलोनी, शिवगंज, पुलिस थाना शिवगंज जिला– सिरोही उपस्थित। गैरसायल के वकील श्री राजेश मेघवाल उपस्थित। गैरसायल ने लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर आरोप स्वीकारोक्ति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण का आज ही निस्तारण करने का अनुरोध किया। जिस पर सहायक अभियोजन अधिकारी व गैरसायल के अधिवक्ता को सुना गया। सहायक अभियोजन अधिकारी ने इस्तगासे में अंकित तथ्यों ध्यान आकर्षित करते हुए गैरसालय को सिरोही जिले से छः माह की अवधि के लिये निष्कासित करने का अनुरोध किया। जबकि गैरसायल के वकील ने यह व्यक्त किया कि गैरसायल वर्तमान में किसी भी तरह की आपराधिक गतिविधियों में लिप्त नही है एवं मजदूरी के करके जीवन यापन कर रहा है। गैरसायल के विरुद्ध दर्ज धारा 13 आर.पी.जी.ओ. के मुकदमों में लोक अदालत की भावना से जुर्म स्वीकार करने से संबंधित न्यायालय ने दोषसिद्ध ठहराया है। गैरसायल के विरुद्ध दिनांक 03.10.2022 के बाद कोई मुकदमा दर्ज नही हुआ है। अतः गैरसायल के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही को ड्रॉप किया जावे।

हमनें सुनी गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट के अनुसार गैरसायल ताराचन्द पुत्र रमेशचन्द्र, जाति– जीनगर, निवासी– इन्द्रा कॉलोनी, शिवगंज, पुलिस थाना शिवगंज, जिला– सिरोही के विरुद्ध पुलिस थाना, शिवगंज में राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश की धारा 13 के तहत अपराध संख्या 195 दिनांक 24.9.2020, अपराध संख्या 15 दिनांक 14.1.2021 व 226 दिनांक 03.10.2022 को दर्ज हुये। गैसायल के विरुद्ध राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग अध्यादेश की धारा 13 के तहत दर्ज मुकदमों में बाद अनुसंधान संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किये गये, जिनमें संबंधित न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया है। जिनमें से अपराध संख्या 195 दिनांक 24.9.2020 व अपराध संख्या 226 दिनांक 03.10.2022 की प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं आरोप पत्रों की प्रतियां न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है। उक्त अपराध संख्या 195 दिनांक 24.9.2020 व अपराध संख्या 226 दिनांक 03.10.2022 में संबंधित न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक क्रमशः 09.11.2020 व 18.10.2022 के अनुसार गैरसायल को दोष सिद्ध ठहराया गया है। इससे स्पष्ट है कि कि गैरसायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम 1975 की धारा 2(ख)(III) में वर्णित अपराध करने का दोषी है व गुण्डा की श्रेणी में आता है। पुलिस अधीक्षक, सिरोही की रिपोर्ट एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट है कि गैरसायल जुआं संबंधी अपराधों में लिप्त रहा है, किन्तु दिनांक 09.12.2022 के बाद गैरसायल के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज नही है।

अतः उपरोक्त सभी तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस अधीक्षक, सिरोही द्वारा प्रस्तुत इस्तगासे को स्वीकार करते हुऐ गैरसायल ताराचन्द पुत्र रमेशचन्द्र, जाति– जीनगर, निवासी– इन्द्रा कॉलोनी, शिवगंज, पुलिस थाना शिवगंज, जिला– सिरोही को राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1975 की धारा 3 के परिप्रेक्ष्य में 15 दिन की अवधि के लिये पुलिस थाना क्षेत्र, शिवगंज से निष्कासित किया जाता है। इस निष्कासन अवधि में गैरसायल बिना पूर्व अनुमति के पुलिस थाना क्षेत्र, शिवगंज की सीमा में प्रवेश नही करेगा, गैरसायल इस निष्कासन अवधि में एक सामान्य व अच्छे नागरिक की तरह जीवन यापन करेगा तथा किसी प्रकार के आपराधिक कृत्य नही करेगा। इसके अतिरिक्त, गैरसायल इस अवधि में किसी भी शैक्षणिक संस्था, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक पार्क आदि के आस–पास अपनी उपस्थित नही देगा। गैरसायल उक्त निर्देश/निबन्धन एवं शर्तो का सम्यक पालन करने की दृष्टि से उक्त अधिनियम की धारा 7(1) के तहत राशि रुपये 10,000/– (अक्षरे रुपये दस हजार मात्र) का स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत करेगा। आदेश सुनाया गया। माफिक आदेश गैरसायल ने स्वयं का बन्ध पत्र प्रस्तुत किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो तथा निर्णय की प्रति अधिकारी [illegible] को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

(के.आर.खौड)
जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalu Ram Khod
Date: 2023.07.21 17:23:10 IST
Reason: SelfAttested